बिल का सारांश

हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त (संशोधन) बिल, 2023

- हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त (संशोधन) बिल, 2023 को 23 सितंबर, 2023 को हिमाचल प्रदेश विधानसभा में पेश किया गया। यह हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त एक्ट, 2014 में संशोधन का प्रयास करता है। एक्ट लोक सेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों और शिकायतों की जांच के लिए लोकायुक्त की स्थापना करता है।
- **लोकायुक्त का वेतन और सेवा शर्तें**: एक्ट के तहत, लोकायुक्त के रूप में नियुक्त होने के पात्र व्यक्तियों में सेवारत या सेवानिवृत्त निम्नलिखित व्यक्ति शामिल हैं: (i) सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, (ii) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और (iii) उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। एक्ट लोकायुक्त के वेतन, भत्ते और सेवा शर्तों को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान निर्दिष्ट करता है। बिल में कहा गया है कि अगर किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को लोकायुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो उनका वेतन, भत्ते और सेवा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बजाय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अनुरूप होगी।

अस्वीकरणः प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) के नाम उल्लेख के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।

अलाया पूरेवाल
alaya@prsindia.org

6 नवंबर, 2023